

कार्यालय आदेश

शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(13)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 29.09.2025 के अनुसरण में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 21850-21867 दिनांक 29.09.2025 द्वारा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा) जयपुर द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय विशेष जांच तथा संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(12)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 29.09.2025 के अनुसरण में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 21986-22001 दिनांक 03.10.2025 के द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ई बिड संख्या 14/2022-23 दिनांक 22.07.2022 की विशेष जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया था।

उक्त आदेशों की निरन्तरता में श्री नवीन खाण्डल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I को तत्काल प्रभाव से विशेष जांच दल में लगाया जाता है।

50
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांक: एफ.7(वि.जाँ.) /2025-26/ 22086-101 दिनांक :- 6-10-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. राज्य परियोजना समन्वयक, (समग्र शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय राज्य परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. राज्य परियोजना समन्वयक, (समग्र शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
11. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
12. प्रभारी विशेष जांच दल कैम्प शिक्षा रांकुल, जयपुर।
13. संबंधित श्री नवीन खाण्डल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उपरोक्तानुसार विशेष जांच दल में कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
14. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई-मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
15. रक्षित पत्रावली।


(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)

